न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/20114

नौंरगलाल पुत्र हरदास जाति नाई निवासी चक 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हरदास
2. हनुमान पुत्र भजनलाल
3. बंजरगलाल पुत्र भजनलाल

} अकवाम नाई निवासीगण चक 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर

दिनांक 04.02.2014

उपस्थिति

श्री काशीराम रणवा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 18.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रार्थी संख्या 1 से 3 /रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 2 जी छोटी के मु.न. 26 के कि.न. 1 से 25 की 4.927 है., मु.न. 27 के कि.न. 1 से 25 की 6.325 है., मु.न. 28 के कि.न. 3

18/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से 8, 13 से 25 की 3.795 है. कुल 15.047 है0 भूमि में प्रार्थी सं0 1 के नाम 5.016 है0, प्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम 4.256 है. भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने पिता व दादा से ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। जिसमें से प्रार्थी सं.1 ने अपने हक व हिस्सा का रकबा में से 0.759 है. रकबा प्रतिवादी सं0 2 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दिया है। भूमि संयुक्त खाता की है। मु.न. 26 का रकबा सडक आम पर 5 बीघा लम्बा है इसलिए अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है वह भूमि का रहन बेय करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना भूमि को रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करें।

अप्रार्थी/अपीलांट ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने आपसी में राजीनामा कर लिया एवं राजीनामा के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त कर रहें हैं। भूमि का पूर्व में विभाजन होने से प्रार्थीगण पुनः विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद दिनांक 04.02.2017 को प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट कर दिया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

18/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है केवल बंटवारे के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद होना है। भूमि संयुक्त खाता में है, सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अपीलांट के कब्जा की भूमि में रेस्पो. कोई हित नहीं है। विशेष किलाजात के बेचान से मना किया जा सकता है किन्तु अपने हिस्सा के बेचान से मना नहीं किया जा सकता। अधी.न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट आरआरडी 2008 पेज 762, 1977 आरआरडी पेज470, की नजीरे पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अच्छी भूमि को बेचान करना चाहता है । अधी.न्यायालय ने दोनों को बेचान के लिए पाबन्द किया हैं। विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र इस आधार पर स्वीकार किया है कि विवादित आराजी संयुक्त खाता की है एवं अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ हैं, यह तर्क न्यायसंगत है कि संयुक्त खाते की भूमि के हर कण पर सभी खातेदारों का हक हिस्सा है। अतः जब तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बंटवारा नहीं होता कोई सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उनके कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए तो पाबन्द किया जा सकता है परन्तु एक सहखातेदार अपना हिस्सा बेचान व रहन करने को पाबन्द करना न्यायसंगत नहीं है। अधी. न्यायालय ने समस्त भूमि को रहन, बैय आदि करने से अप्रार्थी को पाबन्द किया है जो न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 04.02.2014 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर